

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम


(नियम 25)

उपखण्ड, अधिकारी मुकाम नीमराना (अनवर)  
 साक्षी यनाम सुन्दरशक्ति  
 दावा नं० 231 सन् 1641-2017


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामिल  
 में जारी हुए


16-11-17 पत्रावली पेश की गई। वादीगण के वकील उपस्थित हैं। दावा पर किया जाने प्रतिवादीगण द्वारा समन तलब कर पत्रावली दि० 18-01-18 को पेश की जावे।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमराना (अनवर) राज

3-12-17 आज यह पत्रावली वादी के प्रावज 06/17 CPC पर तलब कर पेशी में ली गयी वादी मप वकील उपस्थित हैं। वादी के वकील को प्रावज 06/17 CPC पर सुना गया। प्रावना पत्र स्वीकार किया जाता है। सशर्तित वादपत्र पेश किया गया। तदनुसार इति वकील तलब कर पत्रावली दि० 18/01/18 को पेश की जावे।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमराना (अनवर) राज

18/01 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने 18 कार्य स्थगित कर रखा हैं। यथाकारान् उप पत्रावली दि० 05-4-18 को पेश हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी, नीमराना

54/18

पत्रावली पेश की गई। वादीगण के वकील उपस्थित हैं। दावा पर किया जाने प्रतिवादीगण द्वारा समन तलब कर पत्रावली दि० 18-01-18 को पेश की जावे।

  
 उपखण्ड अधिकारी, नीमराना

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13-11-24 आज यह पत्रावली पेश हुई वादी के  
अधिकार स्थान है तलाक को समझ  
जाहने है पत्रावली वापने दीपिका तलाक  
दिनांक 10.12.25 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर  
नीमराना (अलख)

10/2  
25

आज पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उद्यम नै  
कम स्थानित कर अकारान 21  
पत्रावली टिक 16.4.25 को नैत हो।

उपस्वण्ड अधिकारी, नीमराना

16-4-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। यह सप नीमराना द्वारा कार्य  
स्थान किये जाने का इलाक़ा बना किया है। पत्रावली पूर्व  
अदालतानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-12-25  
को पेश हो।

रीडर

~~आज यह पत्रावली पेश हुई। यह सप नीमराना द्वारा कार्य  
स्थान किये जाने का इलाक़ा बना किया है। पत्रावली पूर्व  
अदालतानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-12-25  
को पेश हो।~~

21-8-25 आज यह पत्रावली रै. को गई। वादी एवं उदके अधिवक्ता  
कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को  
बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके  
अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी  
एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह कार्य  
प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
क्या लेख मागदार अलख जमा कराई जावे।

उपस्वण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)